रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 1989/श्रावण 5, 1911
No. 140] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 1989/SRAVANA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1989

संख्या 21011/5/89—पी.सी.III—कृषि में प्लास्टिक के उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी.ए.) जो कि 1981 में गठित की गयी थी, का दिनांक 20-3-1986 के संकल्प संख्या 14016/1/77-पीसीIII द्वारा पुनर्गठन किया गया था। इस समिति को अधिक प्रभावशाली उद्देश्य पूर्ण बनाने व कृषि में प्लास्टिकों का प्रयोग तेजी से बढ़ाने के लिए समिति के प्रयत्नों को ठोस दिशा देने तथा खेतीहर समुदाय के साथ-साथ कृषि विशेषज्ञों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए एनसी पी ए को निम्नलिखित अनुसार पुनर्गठित करने का निर्णय किया गया है :—

संरचना

1. सचिव (रसायन और पैट्रोरसायन)	अध्यक्ष
2 महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
3 श्री वीरेन्द्र प्रकाश, सलाहकार, योजना आयोग	सदस्य
4 अपर सचिव जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
5. संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि मंत्रालय (कृषि व सहकारिता विभाग)	सदस्य
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आई पी सी एल.	सदस्य
7. नाबार्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8. निदेशक स्पिपेट	सदस्य
9. – 10 कृषि विश्वविद्यालयों के दो उपकुलपति	सदस्य
11—12 दो प्रगतिशील किसान	सदस्य
(1) श्री सतवंत कपूर लाजपत नगर, अबोहर जिला फिरोजपुर, पंजाब	
(2) कैप्टन जे रामाराव, डी-3 विक्रमपुरी कालोनी, सिकन्दराबाद	सदस्य
13 श्री निर्मल ठक्कर, अध्यक्ष प्लास्ट इंडिया फाउन्डेशन	सदस्य

14. श्री एल. एन. दोशी संयुक्त सचिव — सदस्य-सचिव
पैट्रोरसायन (रसायन व पैट्रोरसायन विभाग)

2. समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(i) कृषि में प्लास्टिकों के प्रयोग के लिए योजना बनाना ताकि कृषि में उत्पादकता बढ़ाई जा सके और उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम प्रयोग हो सके।

(ii) कृषि में प्लास्टिकों का प्रयोग बढ़ाने के लिए वित्तीय नीति सहायता और किसानों को मदद आदि जैसी उपयुक्त नीतिगत उपायों की सिफारिशें करना।

(iii) ड्रिप स्प्रिंकलर/सिंचाई, नदी /तालाब लाइनिंग, ग्रीन हाउसों मल्चिंग आदि अपनाने के लिए विभिन्न नीतिगत सुझाव देना।

(iv) डेटा बेस बनाने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना, कृषि और जल प्रबन्ध में प्रयुक्त प्लास्टिकों के क्वालिटी मानदंड निर्धारित करने में मदद करना आदि।

(v) प्लास्टिकल्चर जिला कार्यक्रम (पी. डी. पी.) और प्लास्टिकल्चर विकास केन्द्रों (पीडीसी) का मुख्यतः और प्लास्टिकल्चर का सम्पूर्ण विकास सामान्यतः के कार्यान्वयन का प्रभावीकरण से निरीक्षण व मानीटर करना।

(vi) देश में प्लास्टिकल्चर के विकास से संबन्धित कोई भी अन्य कार्य।

3. समिति की कार्यावधि आरम्भ में 5 वर्ष के लिए होगी। समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार होंगी किन्तु तिमाही में एक अवश्य होगी। समिति की समाप्ति के समय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी किन्तु इसे आवश्यकता के अनुसार अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

4. समिति के लिए आवश्यक सचिवालय सहयोग इस कार्य के लिए गठित केन्द्रीय समन्वय कक्ष द्वारा प्रदान की जाएगी।

5. गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता का व्यय संबंधित संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों के यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता का व्यय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों द्वारा वहन किया जाएगा। समिति के अन्य व्यय रसायन और पैट्रोरसायन विभाग व आई पी सी एल. द्वारा वहन किए जाएंगे।

6. आवश्यकता होने पर सरकार समिति के गठन में अनुकूल परिवर्तन कर सकती है।

एल. एन. दोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Deptt. of Chemicals & Petrochemicals)

RSEOLUTION

New Delhi, the 27th July, 1989.

No. 21011/5/89-PC.III:--The National Committee on the use of Plastics in Agriculture (NCPA) which was originally set up in 1981 was reconstituted vide Resolution No. 14016/1/77-PC. III dated 20-3-1986. In order to make this Committee more effective, purposeful and direct its efforts in a consolidated manner for rapid use of plastics in agriculture and also to provide for adequate representation for the Agricultural community as well as experts in agriculture it has been decided to reconstitute the NCPA as under:

Composition:

1.	Secretary (Chemicals & Petrochemicals)	Chairman
2.	Director General, Indian Council of Agricultural Research or his representative	Member
3.	Sh. Virendra Prakash, Adviser, Planning Commission.	Member
4.	Addl. Secy. Min. of Water Resources	Member
5.	Jt. Secretary (Extension), Min. of Agriculture Deptt. of Agriculture & Co-op.	Member
6.	Chairman & Managing Director, IPCL	Member
7.	A representative of NABARD	Member
8.	Director, CIPET	Member
9. & 10	Two Vice Chancellors of Agricultural Universities	Members
11.&12.	Two Progressive Farmers: (i) Sh. Satwant Kapoor Lajpat Nagar Abohar, Ferozpur Distt. Punjab. (ii) Capt. J. Rama Rao D-3, Vikrampuri Colony Secunderabad.	Members
13.	Shri Nirmal Thakkar, President Plast India Foundation	Member
14.	Shri L.N. Doshi, Joint Secretary (Petrochemicals) Deptt. of C&PC	Member-Secretary

2. The terms of reference of the Committee would be as under:

(i) To prepare plan for use of plastics in agriculture with a view to increasing agricultural productivity and optimising use of available water resources.

(ii) To recommend suitable policy measures such as fiscal policy, subsidy, assistance to farmers etc. for promotion of use of plastics in agriculture.

(iii) To suggest various strategies for adoption of Drip Spinkler/irrigation, canal/pond lining, green houses, mulching etc.

(iv) To arrange promotion of Research and Development to build data base, to assist in prescribing quality standards of plastics used in Agriculture & Water Management, etc.

(v) To supervise and monitor effectively the implementation of Plasticulture Distt. Programme (PDP) and Plasticulture Development Centres (PDC) in particular and overall development of plasticulture in general.

(vi) Any other matter connected with promotion of plasticulture in the country.

3. The term of the Committee will be initially for a period of five years The Committee shall meet as often as necessary but at least once a quarter. The Committee will submit its Report at the end of its term, but it should submit interim reports as often as necessary.

4. The Secretarial assistance required for the Committee will be provided by the Central Coordination Cell constituted for the purpose.

5. The expenditure on TA/DA of the non-official Members will be met by the concerned organisation. TA/DA of the Government officials will be met by the concerned administrative Ministries/Departments. The other expenditure on the Committee will be borne by the Deptt. of Chemicals Petrochemicals and IPCL.

6. Government may make suitable changes in the constitution of the Committee if required.

I.N. DOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989